(98)

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड पौडी

सेवामें,

जिला विकास अधिकारी
देहरादून,बागेश्वर एवं नैनीताल.

पत्रांक 3956/5–बजट/आयोजनेत्तर/2011–12 दिनांक 14 ~~फरवरी~~ मार्च 2012

विषय **वित्तीय वर्ष 2011.12 के आय–व्ययक के अनुदान सं. 19 के आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–00–102–03 में धनराशि का आंवटन.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं. 677/XI/2011 56(32) 2011 दिनांक 11.4.2011 द्वारा अनुदान सं0 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515--00–102–03 के मानक मद 01–वेतन में रू0 39,00,00,000.00, 03 मंहगाई भत्ता मद में रू0 23,40,00,000.00 एवं मानक मद–06 अन्य व्यय में रू0 4,29,00,000.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष जनपदों को 01 वेतन मद में रू0 38,94,89,000.00, 03 मंहगाई भत्ता मद में रू. 23,36,93,400.00 एवं मानक मद–06 अन्य व्यय में रू0 4 28,38,000.00 की धनराशि आंवटित की गयी है। उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष मानक मद--06 अन्य भत्ता मद में रू0 1,00,00,000.00 की सम्भावित बचत थी, जिसका पुर्नविनियोग मानक मद–01 वेतन मद में करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया.

उक्त क्रम में शासन के पत्र सं. 181/XI/2012 56(32) 2011 दिनांक 5.3.2012 से उक्त लेखाशीर्षक के मानक मद–06–अन्य भत्ते की बचत धनराशि **रू0 1,00,00,000.00 (रूपये एक करोड़ मात्र)** का पुर्नविनियोग 01–वेतन मद में किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसका बी.एम.–15 संलग्न कर निम्न प्रकार जनपदों को धनराशि अवमुक्त की जा रही है–

(धनराशि रू0 में)

जनपद का नाम	मानक मद	**वर्तमान में आवंटन**	पूर्व आंवटन	प्रगामी योग
देहरादून	01–वेतन	**30,00,000.00**	2,92,35,000.00	3,22,35000.00
बागेश्वर	01–वेतन	**20,00,000.00**	1,44,44,000.00	1,64,44,000.00
नैनीताल	01–वेतन	**50,00,000.00**	3,24,99,000.00	3,74,99,000.00
	योग	**1,00,00,000.00**	**7,61,78,000.00**	**8,61,78,000.00**

(रू0 एक करोड़ मात्र)

उक्त आवंटित धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. धनराशि का दोहरा आहरण होने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा.
2. निवर्तन पर रखी गयी धनराशि तत्काल आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारेयों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
3. बजट प्राविधानित के किसी भी लेखाशीर्षक /मानक मद के अन्तर्गत प्राविधानित/स्वीकृति की सीमा तक की व्यय किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है. अतः बजट प्राविधान/स्वीकृति से अधिक किसी भी दशा में व्यय न किया जाय और न ही पुर्नविनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय.
4. प्रश्नगत मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम,उत्तराखण्ड़ प्राक्योरमेंट रूल्स,2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय.

5. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें,उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय.
6. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह स्वीकृति/व्यय सम्बंधी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बंधी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेंगे.
7. निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का व्यय दिनांक 25.3.2012 तक करते हुए अवशेष धनराशि को समयान्तर्गत समर्पण किया जाना सुनिश्चित करें.
8. पुर्नविनियोग द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी भी दशा में समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा.
9. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय. बी.एम.–13 पर नियमित रूप से सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जाय.

इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान सं0 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–आयोजनेत्तर–03–अधिष्ठान की मानक मद–01–वेतन मद के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न बी.एम.–15 के कालम–1 की मानक मद की बचत से वहन किया जायेगा.

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 242(NP)/XXVII–4/2012 दिनांक 28.2.2012 द्वारा प्राप्त सहमति तथा सचिव,ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या 181/XI/2012 56(32) 2011 दिनांक 5.3.2012 के क्रम में जारी किया जा रहा है.

उक्त आवंटन की प्रविष्टि बजट नियंत्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या 87 पर अंकित कर ली गयी है.

संलग्न–बी.एम.–15

भवदीय,

(हर सिंह बोनाल)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
ग्राम्य विकासत्र

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (ए एण्ड़ सी) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड देहरादून.
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार,वैभवन पैलेस 9 सी–1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून.
3. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर,देहरादून.
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून,बागेश्वर एवं नैनीताल(पंजीकृत)
5. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून, बागेश्वर एवं नैनीताल.
6. जिलाधिकारी, देहरादून,बागेश्वर एवं नैनीताल.
7. आयुक्त,गढ़वाल मण्ड़ल,पौड़ी एवं कुमायूँ मण्ड़ल,नैनीताल.
8. सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन देहरादून.
9. निजी सचिव,प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड़ शासन को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ प्रस्तुत.
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त लेखा,उत्तराखण्ड़.
11. वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन.
12. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
ग्राम्य विकास.

P.
To:01368223895
04-06-2013 11:22 From:

(पैरा–156)

बी०एम० – 15

प्रशासकीय विभाग – ग्राम्य विकास

वित्तीय वर्ष 2011–12

अनुदान संख्या – 19

आयोजनेत्तर

(धनराशि हजार रू० में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्वियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या – 19 आयोजनेत्तर 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102 – सामुदायिक विकास 03 – अधिष्ठान 06 अन्य भत्ता रू० 42900	26310	6590	10000	अनुदान संख्या – 19 आयोजनेत्तर 2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102 – सामुदायिक विकास 03 – अधिष्ठान 01 वेतन रू० 10000	400000	32900	मानक मद 06 में धनराशि बचत होने के कारण मानक मद – 01 में पुनर्विनियोग किया जा रहा है ताकि माह जनवरी एवं फरवरी का वेतन आहरित किया जा सके।
योग – रू० 42900	26310	6590	10000	योग – रू० 10000	400000	32900	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघंन नहीं होता है।

(वरिष्ठ वित्त अधिकारी)
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड, पौड़ी

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव